

# पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

संख्या : लाजि0-एम0टी0-69 (ग्री0का0स्था0)/2019  
सेवा में,

दिनांक दिसम्बर 26 2019

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक  
उत्तर प्रदेश ।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक  
उत्तर प्रदेश ।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक  
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश

कृपया अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भांति ही ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-2020 के अन्तर्गत जोनल पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मिकों, प्रशासनिक आधार पर संस्तुत प्रकरणों एवं अनुकम्पा के आधार पर निम्न पदों पर कार्यरत कर्मियों यथा:-

- (1) मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन
- (2) मुख्य आरक्षी चालक
- (3) आरक्षी चालक

के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक 28.02.2020 तक लाजिस्टिक्स इकाई को जरिये विशेष वाहक एवं साफ्ट कापी E Mail ID- logisticoffice4@gmail.com पर अपने स्पष्ट अभिमत सहित "लाजिस्टिक्स पुलिस स्थापना बोर्ड" के विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मों की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut of Date 30-04-2020 नियत की गयी है।

उपरोक्त सूचनाओं को मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर पूर्ण कर ली जाय:-

- (1) परिक्षेत्रीय प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक 10.02.2020 तक पूर्ण कर लें तथा जोनल एवं मुख्यालय स्तर से वांछित स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूची जोनल कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।
- (2) जोनल प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक 20.02.2020 तक पूर्ण कर लें।
- (3) लाजिस्टिक्स इकाई से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित/समेकित सूची/विवरण दिनांक 28.02.2020 तक इस इकाई को उपलब्ध करायेगें। निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय को होगा।
- (4) स्थानान्तरण से सम्बन्धित संदर्भों का परीक्षण शासनादेश दिनांक 11.07.1986, 07.06.2014 व 24.07.2015 व मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पत्र दिनांकित 22.06.2017 में निहित प्राविधानों में ध्यान में रखते हुए किया जाय।
- (5) परिक्षेत्र/जोन/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाय जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं।



- (6) प्रत्येक जनपद/कार्यालय का पदवार नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकता का विवरण संलग्न किया जाय ।
- (7) इस इकाई द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिनांकित 31.03.2020 तक पूर्ण कर जायेगी। अतएव जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से चिन्हित समस्त कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक 31.03.2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायें।
- (8) परिक्षेत्र/जोन/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित समस्त कर्मियों को दिनांक 30.04.2019 तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाये । यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि दिनांक 30.04.2019 उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहें ।

**(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण—**

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों के प्रार्थना-पत्रों में अंकित समस्याओं पर परीक्षण जनपद स्तर पर कराया जायेगा, जिनमें अंकित तथ्य सत्य पाये जाने तथा स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना-पत्र एवं पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप-“ए” उपरोक्तानुसार अग्रसारित किया जायेगा । इस सूचनाओं एवं आवेदनो का परीक्षण परिक्षेत्र/जोन स्तर पर किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण ही इस मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे ।

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मों का अधिकार और विभाग के लि बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीय दिया जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर क के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट करना समीचीन की मात्र गृह जनपद की दूरी सामान्यतः अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते स प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो तो उसके कारण व उपल अभिलेखीय आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

**(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण—**

जनपद/इकाई में सम्बन्धित कर्मों की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut of Date 30-04-202 नियत की गयी है। परिवहन शाखा के लिए निर्धारित कार्यकाल निम्नवत् है:-

क0सं0	पदनाम	निर्धारित कार्यकाल	
		एक जनपद में	एक परिक्षेत्र में
1	मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन	05 वर्ष	—
2	मुख्य आरक्षी चालक	10 वर्ष	—
3	आरक्षी चालक	10 वर्ष	—

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यकाल की परिधि में आने वाले कर्मियों का विवरण अलग-अलग पद निर्धारित प्रारूप-“बी” में हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित जनपदों द्वारा परिक्षेत्र/जोनल प्रभारी के माध्यम प्रेषित किया जायेगा।

**3— प्रशासनिक एवं जनहित में निम्न कारणों से स्थानान्तरण की संस्तुति की जा सकती है:-**

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति इस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-चार-स (निर्देश)/2017 के शीर्षक प्रशासनिक स्थानान्तरण के बिन्दु संख्या 01 से 06 में अंकित तथ्यों को ध्यान रखते हुए किया जाये ।

**4— ऐसे कर्मियों जो विगत वर्षों से स्थानान्तरणाधीन है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त न हो सके हैं,**

- को पदवार चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए उनकी सूचना प्रारूप-डी में संलग्न की जाय । साथ ही ऐसे कर्मों जिनके



इस सूची से इतर अन्य सूची में भी है, उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का अवश्य अंक किया जाय ।

- मा0 उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषय किसी प्रकरण में कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए स्थगन सम्बन्धित मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति भी संलग्न की जाय तथ प्रकरण में अबतक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाय ।

### सामान्य निर्देश

1. इस पत्र के साथ पांच प्रारूप संलग्न हैं:-
  - (1) प्रारूप "ए"— अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाल
  - (2) प्रारूप-बी, — निर्धारित समयावधि
  - (3) प्रारूप-सी,— प्रशासनिक एवं जनहित
  - (4) प्रारूप-डी,— पूर्व से स्थानान्तरणाधीन कर्मियों का विवरण
  - (5) प्रारूप-ई,— पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति का विवरण
  - (6) प्रारूप-एफ— समस्त मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक का नामिनल रोल अलग-अलग ।
2. प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदों में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/ जोन स्तर पर कर्मियों को समय से प्रचार प्रसार न होने के कारण ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस कर्मी प्रार्थना-पत्र लेकर सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ में उपस्थित होते हैं। इससे मुख्यालय स्तर पर राजकीय कार्य बाधित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मी अपन आवेदन समय से कर सकें तथा कोई भी कर्मी स्थानान्तरण के लिये सीधे इस इकाई में प्रस्तुत नहीं होगा ।
3. अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मी पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय ।
4. सम्बन्धित कर्मी के प्रार्थना पत्र को कर्मांकित किया जाय तथा क्रमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाय ।
5. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अशा0 पत्रांक 8/2008 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार सभी कर्मियों का पर्सनल नम्बर (पीएनओ नं0) अंकित किया जाय। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा ।
6. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ आधारित नामिनल रोल डाटाबेस आन-लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियों एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जायें, यदि कोई कर्मी पूर्व में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मी का सेवाविवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी ।
7. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मी की वास्तविक समस्या के समाधान हेतु यथासम्भव सहानुभूति पूर्वक उसके प्रकरण



पर विचारण किया जाय, ताकि वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके लाजिस्टिक्स पुलिस स्थापना बोर्ड प्राप्त नामांकन/संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

- 8 ग्रीष्कालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनाएं Microsoft Excel Sheet Krishna Font में तैयार कर प्रेषित की जाये, जिसमें यह ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक कर्मी का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय, कोई भी सेल मर्ज कदापि न किया जाय।
9. उक्त पत्र की प्रति एवं सभी प्रारूप (05 अदद) इस कार्यालय के बेवसाईट up police-police units-Logistics-circuler पर प्रकाशित किया गया है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 10 सभी सूचनाएं प्रिन्ट आउट के साथ सी0डी0 तथा logisticooffice4@gmail.com में भी अवश्य प्रेषित की जाय।

संलग्नक: 06 अदद प्रारूप

(विजय कुमार मौर्य)

अपर पुलिस महानिदेशक "लाजिस्टिक्स"  
उत्तर प्रदेश लखनऊ

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों में नियुक्त कर्मियों के कार्यकाल की गणना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: डी0जी0-चार-स्था0-निर्देश 2017/900 दिनांक 22.06.2017 के शीर्षक कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक में निहित प्राविधानों के अनुसार परीक्षण कराकर अपने स्तर से समायोजित करने तथा जिन कर्मियों का समायोजन इनके अधीनस्थ इकाईयों में सम्भव न हो शेष सम्बन्धित कर्मियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग सी0डी0 में तैयार कराकर मय हार्ड कापी दिनांक 20.02.2020 तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

1- अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक- पीएसी मुख्यालय /रेलवे मुख्यालय/तकनीकी सेवायें/प्रशिक्षण निदेशालय/ विशेष जांच/भ्र0नि0सं0/ई0ओ0डब्लू/अभिसूचना मुख्यालय/एसटीएफ/एसआईटी/ मानवाधिकार/ सतर्कता अधिष्ठान/रेडियों मुख्यालय /सीबीसीआईडी /सहकारिता विभाग/फायर सर्विस मुख्यालय/यातायात निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय प्रयागराज/ए0टी0एस0 मुख्यालय लखनऊ/ डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद /पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद/ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर/ए0टी0सी0 सीतापुर।

- 2- पुलिस महानिरीक्षक/जी0एस0ओ0 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 कम्प्यूटर केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
- 6- अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 केन्द्रीय वस्त्र भण्डार लखनऊ।

प्रारूप "ए"																				
अनुक्रम के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों का विवरण																				
क्र.सं.	पदनाम	बैज नं०	पीएनओ नं०	कर्म का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण		वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	अनुक्रम के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले जनपद/इकाई का नाम			दो वर्ष पूर्व प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित हुआ हो तो उसका विवरण	यदि कर्म स्थानान्तरणार्थी है तो उसका विवरण	
											जनपद/इकाई का नाम	कब से कब तक			प्रथम विकल्प	द्वितीय विकल्प	तृतीय विकल्प			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में हिन्दी फॉन्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल/रो में फीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

2- पदवार सूचना अलग-अलग प्रेषित किया जाय ।



प्रारूप "बी"																	
निर्धारित अवधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का विवरण																	
क्र०सं०	पदनाम	बैंज नं०	पीएनओ नं०	कर्म का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक	वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्म आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसमें वर्णित विकल्प	यदि कर्म स्थानान्तरणाधीन है तो उसका विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर

नोट: समस्त सूचनार्यें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल/रो में फीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

2- पदवार सूचना अलग-अलग प्रेषित किया जाय ।

प्रारूप "सी"																			
प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों का विवरण																			
क्र०सं०	पदनाम	बैज नं०	पीएनओ नं०	कर्मि का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	मर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण	वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्मि का नाम किसी अन्य सूची में सम्मिलित हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख	प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु स्पष्ट कारण/संस्तुति अंकित किया जाए	यदि कर्मि स्थानान्तरणाधीन है तो उसका विवरण	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर

नोट: समस्त सूचनार्यें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्मि की सूचना एक ही सेल/रो में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

2- पदवार सूचना अलग-अलग प्रेषित किया जाय ।



प्रारूप "डी"

स्थानान्तरणाधीन पुलिस कर्मियों का विवरण, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया।

क्र०सं०	पदनाम	बैज नं०	पीएनओ नं०	कर्मि का नाम	पिता का नाम	नियुक्त जनपद का नाम	आदेश संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा स्थानान्तरण किया गया है।	कहाँ से	कहाँ को	कार्यमुक्त न किये जाने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर



प्रारूप "ई"										
क्र० सं०	जनपद का नाम	पदनाम	स्वीकृत, नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं अधिकता का विवरण							
			स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अधिकता	अनुकम्पा के आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	निधारित अवधि के आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	प्रशासनिक आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन								
2		मुख्य आरक्षी चालक								
3		आरक्षी चालक								

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर

प्रारूप "एफ "																
मुख्य आरक्षी चालक /आरक्षी चालक का नामिनल रोल																
क्र० सं०	जनपद का नाम	पदनाम	पी०एनओ० नम्बर	नाम कर्मचारी	पिता का नाम	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	वर्तमान पद पर पदोन्नि त की तिथि	गृह जन पद	जाति	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान जनपद / इकाई में नियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति	
											जनपद / इकाई का नाम	कब से	कब तक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में हिन्दी फॉन्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल/रो में फीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर